आज के भारत की ज्वलंत समस्यायें-17

कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति

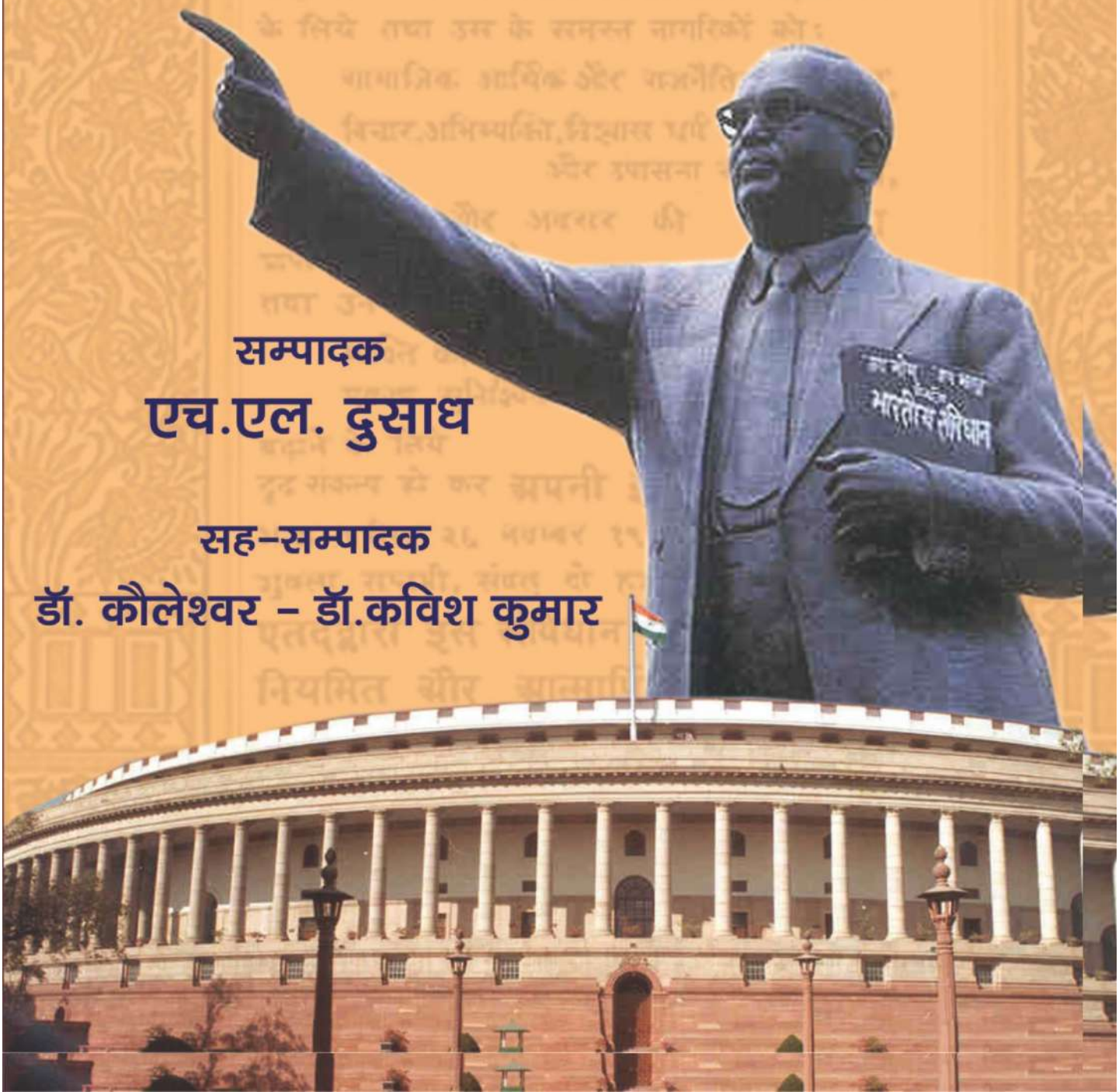

सम्पादक
एच.एल. दुसाध

सह-सम्पादक
डॉ. कौलेश्वर - डॉ.कविश कुमार

आज के भारत की ज्वलंत समस्यायें—17

कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति

सम्पादक

एच.एल. दुसाध

सह-सम्पादक

डॉ. कौलेश्वर-डॉ. कविश कुमार

डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2016
द्वितीय संस्करण : 2020
तृतीय संस्करण : 2024

प्रकाशक : **डाइवर्सिटी फॉर इक्वालिटी ट्रस्ट**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

© **संपादक**

मूल्य : 700 रुपए

रचना	:	**कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति**
संपादक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	राकेश यादव
शब्दांकन	:	कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

समर्पित

भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब
डॉ. भीमराव आंबेडकर *को*

अनुक्रम

प्रस्तावना 9

सम्पादकीय 11

अध्याय–1

संसद में संविधन दिवस पर चर्चा

हमारा संविधान भारत का राष्ट्र दर्शन ग्रन्थ है–*श्रीमती सुमित्रा महाजन* 25

संविधान ने हमारे लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है–श्रीमती सोनिया गांधी 33

संविधान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि : आरक्षण–*श्री मुलायम सिंह यादव* 36

हासिल करना होगा : पॉलिटिकल पावर की 'मास्टर की'–*सुश्री मायावती* 40

सामाजिक विषमता : सारे गुनाहों की जननी–*श्री शरद यादव* 59

दिनोंदिन हमारा प्रजातंत्र नीचे जा रहा है–*श्री राम विलास पासवान* 69

करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय की प्रतीक्षा है–*डॉ. सत्यनारायण जटिया* 78

वर्तमान सरकार को धर्मनिरपेक्ष शब्द पसंद नहीं–*श्री तारिक अनवर* 83

बाबा साहेब के सपने अभी अधूरे हैं–*श्री दिलीप कुमार तिर्की* 87

आरक्षण भीख नहीं, संरक्षण की व्यवस्था है–*श्रीमती अनुप्रिया पटेल* 89

सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है–श्री नरेन्द्र मोदी 91

अध्याय–2

संविधन दिवस पर अखबार और बुद्धिजीवी

शीतकालीन सत्र का पहला दिन 111

संविधान दिवस की सार्थकता 113

विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान 115
तंज न तकरार बस सद्भाव 116
त्रासदी से सीख न लेना सबसे बड़ी त्रासदी 118
बीच बहस में 119
संवैधानिक मूल्यों में विश्वास की जरूरत—*सचिन कुमार जैन* 121
संविधान दिवस की सार्थकता—*कृपाशंकर चौबे* 125
सामाजिक क्रांति को भूलने के खतरे—*अरुण कुमार त्रिपाठी* 128
आंबेडकर के नाम पर कोरी श्रद्धांजलि—*प्रकाश कारात* 131
संविधान के उद्देश्यों को पाने के लिए : डाइवर्सिटी—*एच.एल. दुसाध* 133
संविधान प्रणेता की चेतावनी—*एच.एल. दुसाध* 136
भारतीय-संविधान बनाम मनुस्मृति—*एच.एल.दुसाध* 140
सामाजिक न्याय का एजेंडा—*एच. एल. दुसाध* 144
गणतंत्र दिवस का सन्देश—*एच.एल.दुसाध* 148

अध्याय–3

साक्षात्कार

साक्षात्कार की प्रश्नावली 155

प्रश्नोत्तर

अरविन्द कुमार 165
भगवान स्वरूप कटियार 170
डॉ. रतन लाल 177
हरिशंकर शाही 179
सोबरन कबीर 183
बुद्ध शरण हंस 186
गोपाल राम 214
नुसरत अली 216
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण 219

डॉ. कुसुम मेघवाल	227
वीरचंद्र दास	236
भीम शरण हंस	239
डॉ. महेन्द्र कुमार	244
डॉ. राज बहादुर मौर्य	247
के.पी. राहुल	252
जवाहर लाल कौल	261
महेन्द्र नारायण यादव	268
शीलबोधि	273
मूलचन्द सोनकर	277
माता प्रसाद	300
पी. एल. आदर्श	306
श्यामलाल धनुषधारी	309
संजीव चन्दन	311

प्रस्तावना

सदियों के संघर्ष के पश्चात् 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। इस गणराज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत किया। इस संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगे और संविधान सभा ने 200 से अधिक बैठकें की। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर मैन के रूप में डॉ. भीम राव अंबेडकर तथा सदस्यों के रूप में श्री के. एस मुंशी, श्री कृष्णास्वामी अय्यर, श्री माधव राव, मोहम्मद सदुल्लाह, श्री वी.ए मित्तल, श्री डी. वी खेतान और टी.टी. कृष्णमचारी जैसे अनुभवी व दिग्गज नेता शामिल थें। इन लोगों ने संविधान सभा के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी विद्वता, अपना विवेक और अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करते हुए ऐसे संविधान की रचना की जो विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों व विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों को सुचारू रूप से शासन दे सके और इसकी विभिन्नता भाषाओं, विभिन्न धर्मों व विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों को सुचारू रूप से शासन दे सके और उसकी विभिन्नता में एकता की संस्कृति यथावत बनी रहे।

संविधान के उद्देश्य को उसकी प्रस्तावना में विस्तृत रूप से दिया गया है। इसके अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है जिसका उद्देश्य एक समाजवादी लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। हमारे संविधान ने सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दिशा निर्देशित की है। संविधान द्वारा प्रबल मौलिक व नीति निदेशक तत्वों ने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना व सामाजिक न्याय व समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

विगत 65 वर्षों में विकास के नाम पर हमने काफी प्रगति की है। वैश्वीकरण व मुक्त बाजार व्यवस्था के युग में भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप

इंडिया और स्टेंड अप इंडिया जैसी पहल ने देश के आर्थिक समीकरण को दुरूस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के मामले में अभी भी देश बहुत पीछे है। देश में जाति एक सच्चाई है और आज भी जाति के आधार पर भेदभाव पूरे समाज में व्याप्त है। आज भी इस युग में मनुष्य अपने कर्मों से नहीं अपितु अपने जन्म से बड़ा या छोटा माना जाता है। इसी विषमता को दूर करने हेतु संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था दी जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। उसके पश्चात 1989 में सरकार द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

पिछले कुछ वर्षों से जहां कुछ जातियां अपने आप को आरक्षण सूची में शामिल करवाने हेतु संघर्ष कर रही हैं और उनकी लड़ाई सड़कों तक आ चुकी है तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इस आरक्षण रूपी संरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करवाने हेतु षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे दुविधापूर्ण वातावरण में श्री एच. एल. दुसाध द्वारा संपादित पुस्तक 'कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति' का प्रकाशन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस विषय पर अनेक विद्वानों, राजनेताओं, न्यायविदों और समाजशास्त्रियों के विचार संकलित कर प्रकाशित करने का प्रयास किया है। इन लोगों द्वारा व्यक्त विचार इस विषय पर संकुचित दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का मार्ग दर्शन करेंगे। साथ ही साथ इस विषय पर खुली बहस का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

मैं, श्री दुसाध व पुस्तक के प्रकाशन में लगे सभी लोगों को बधाई देती हूं और उनकी सफलता की कामना करती हूं। मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है पुस्तक समाज को जागरूक करने के अपने उद्देश्य में सफल होगी।

भवदीया

–अनुप्रिया पटेल

सांसद, मिर्जापुर

सम्पादकीय

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन(बीडीएम) द्वारा 2007 से दुसाध प्रकाशन के सौजन्य से प्रकाशित की जा रही 'आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं' शृंखला की यह नवीनतम व 17 वीं पुस्तक आप के हाथों में है। इस शृंखला की शुरुआत के पीछे बीडीएम की यह सोच रही है कि समय-समय पर उद्भव होने वाली कुछ खास समस्यायों को, जिनसे राष्ट्र का जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है एवं जिन्हें मीडिया के अल्पकालिक प्रभाव के चलते लोग एक अंतराल के बाद विस्मृत कर समस्यायों के अम्बार में घिरे देश की दूसरी समस्यायों में खो जाते हैं, यदि पुस्तक के रूप में गंभीरता से परोसा जाय तो राष्ट्र उसकी अनदेखी नहीं कर पायेगा। समस्या पर बहस तेज होगी और प्रबुद्ध विचारक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता तथा देश के नीति-निर्माता उसका समाधान ढूँढने की दिशा में अग्रसर होंगे। इस क्रम में संगठन की ओर से दुसाध प्रकाशन द्वारा भूमंडलीकरण के दौर में विकास के असमान बंटवारे, सेज, आरक्षण पर संघर्ष, मुद्दाविहीन चुनाव, महिला अशक्तिकरण, मुस्लिम समुदाय की बदहाली, हिंदी पट्टी की बदहाली, भारत में क्रान्ति की सम्भावना, जाति जनगणना, नक्सलवाद, ब्राह्मणवाद, जाति उन्मूलन, दलित उत्पीड़न इत्यादि जैसी अन्य कई गंभीर समस्यायों पर मेरे संपादन में 16 महत्वपूर्ण किताबें आईं। इसी कड़ी की नवीनतम पुस्तक है, 'कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति!'

इस पुस्तक के पीछे

वास्तव में संविधान लागू होने के 65 साल बाद भी संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाना राष्ट्र की इतनी बड़ी समस्या है कि इस पुस्तक को आज के भारत की ज्वलंत समस्याएं शृंखला की शुरूआत की पांच पुस्तकों में ही शामिल हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ तो इसलिए कि संगठन ने इसकी गंभीरता की कभी उपलब्धि ही नहीं की। लेकिन देर से ही सही अगर बीडीएम ने इसकी गंभीरता की उपलब्धि किया तो उसका प्रधान श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जिन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125 वीं जयंती वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए 26

नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित करने के बाद 27 नवम्बर, 2015 को लोकसभा में राष्ट्र के समक्ष एक मार्मिक अपील करते हुए कहा था '26 नवम्बर इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे उजागर करने के पीछे 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है, वह 26 नवम्बर में निहित है, यह उजागर करने की आवश्यकता है। भारत जैसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सैंक्टिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन-जन को परिचित कराने का एक निरंतर प्रयास करें। हमें इस प्रक्रिया को एक पूरे रिलीजियस भाव से, एक पूरे समर्पित भाव से करना चाहिये। बाबा साहेब आंबेडकर की 125 वीं जयंती जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़कर इस कार्यक्रम (संविधान दिवस) की रचना हुई। लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सीमित नहीं रखना है। इसको जन सभा तक ले जाना है। इस पर व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कम्पटीशन हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचें, समझें और चर्चा करें। इस समबन्ध में एक निरंतर मंथन चलते रहना चाहिए और इसलिए एक छोटे से प्रयास का आरंभ हो रहा है।'

प्रधानमंत्री की इस अपील ने ढेरों लोगों को स्पर्श किया था। उनकी उपरोक्त मार्मिक अपील तथा संविधान दिवस के अवसर पर 'संविधान के प्रति प्रतिबद्धता'विषय पर संसद के दोनों सदनों-लोकसभा एवं राज्यसभा—में देश के विशिष्ट नेताओं द्वारा संविधान पर व्यक्त उद्‌गार से अनुप्राणित होकर आपके संगठन 'बहुजन डाइवर्सिटी मिशन'(बीडीएम) ने 'संविधान में निहित बातों से जन-जन को परिचित कराने के एक निरंतर प्रयास' का संकल्प लिया। इस महत उद्देश्य के लिए ही बीडीएम की ओर से मेरे संपादन में एक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। वही पुस्तक आपके हाथों में है।

पुस्तक की आधारभूत सामग्री

पुस्तक की आधारभूत सामग्री संसद के दोनों सदनों में 26 और 27 नवम्बर को देश के प्रमुख नेताओं द्वारा 'संविधान के प्रति प्रतिबद्धता' विषय पर व्यक्त किये गए विचारों को बनाई गयी है जो हमें लोकसभा और राज्यसभा के वेबसाइट से लिखित रूप में मिल गयी। यह सामग्री पुस्तक के पहले अध्याय में संकलित है। इसमें श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, श्री शरद यादव, श्री राम विलास पासवान, डॉ.सत्यनारायण जटिया, श्री तारिक अनवर, श्री दिलीप कुमार तिर्की, श्रीमती अनुप्रिया पटेल और श्री नरेंद्र मोदी जैसी विशिष्ट हस्तियों के विचारों को संकलित किया गया है। संविधान पर एक

साथ विभिन्न दलों से जुड़े देश के सर्वाधिक चर्चित नेताओं के विचारों को पढ़ना निश्चय ही एक अलग अनुभव होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे प्रमुख नेताओं के सपनों का भारत कैसा होगा, पुस्तक का पहला अध्याय उसकी झलक प्रस्तुत करता है।

पुस्तक के दूसरे अध्याय में संविधान दिवस पर देश के कुछ खास अखबारों की सम्पादकीय और संविधान के जानकारों के लेखों को संकलित किया गया है। इस अध्याय के जरिये संविधान दिवस पर अखबारों और उनमें छपने वाले विशिष्ट लेखकों की राय से पाठकों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। पहले अध्याय में किसी वामपंथी नेता के विचारों को संकलित न कर पाने से कुछ अपराधबोध महसूस हो रहा था। किन्तु दूसरे अध्याय में प्रकाश करात के लेख को संकलित कर उससे उबरने का प्रयास किया गया है।

मानव जाति की सबसे समस्या और हमारा संविधान

बहरहाल प्रधानमंत्री के आह्वान से अनुप्राणित होकर बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से इस किताब को लाने का निर्णय जरुर लिया, किन्तु हमने इसके जरिये दुनिया के विशालतम संविधान में निहित तमाम बातों की बजाय कुछ चुनिंदा बातों से ही जन-जन को परिचित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस क्रम में हमने नागरिकों के मौलिक अधिकारों (Fundamental rights) और मूल कर्तव्यों (Fundamental duties) जैसी जरुरी बातों तक की उपेक्षा कर सिर्फ आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे में राज्य के कर्तव्यों से जुड़े प्रावधानों से जन-जन को अवगत कराने तक इस पुस्तक को सीमित रखा है। ऐसा इसलिए कि 2007 में वंचित समाज के लेखकों द्वारा स्थापित बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का एकमेव लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का उन्मूलन रहा है। यह एकमेव लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि बीडीएम से जुड़े लेखकों का मानना है कि : 'हजारों सालों से लेकर आज तक निर्विवाद रूप से 'आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी' ही मानव जाति की समस्या रही है। यही वह सबसे बड़ी समस्या है जिससे मानव-जाति को निजात दिलाने के लिए ई.पू.काल में भारत में गौतम बुद्ध, चीन में मो-ती, इरान में मज्दक, तिब्बत में मुने-चुने पां; रेनेसां उत्तरकाल में पश्चिम में हाब्स-लाक, रूसो, वाल्टेयर, टॉमस स्पेन्स, विलियम गाडविन, सेंट साइमन फुरिये, प्रूधो, चार्ल्स हॉल, रॉबर्ट आवेन, अब्राहम लिंकन, मार्क्स, लेनिन तथा एशिया में माओत्से तुंग, हो ची मिन्ह, फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार, डॉ. आंबेडकर, लोहिया, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, कांशीराम इत्यादि जैसे ढेरों महामानवों का उदय तथा भूरि-भूरि साहित्य का सृजन हुआ एवं लाखों-करोड़ों लोगों ने प्राण बलिदान किया। इसे ले कर ही आज भी दुनिया के विभिन्न कोनों में छोटा-बड़ा आन्दोलन/संघर्ष जारी है।'

मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की विश्व में सर्वाधिक व्याप्ति भारत में देखते हुए ही बीडीएम इसके खात्मे के लिए विगत एक दशक से निरंतर जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। इस क्रम में एक दशक के मध्य ही इस संगठन की ओर से लगभग 80 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे पर केन्द्रित साहित्य के लिहाज से बीडीएम देश का समृद्धतम संगठन बन चुका है। बीडीएम आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे पर जागरूकता प्रसार के सिलसिले में अपनी प्रकाशित हर किताब और सभा-सेमिनारों में निम्न बात बताना कभी नहीं भूला।

संविधान निर्माता की चेतावनी

'राष्ट्र को संविधान सौपने पूर्व बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संसद के केन्द्रीय कक्ष से चेतावनी देते हुए कहा था—'26जनवरी, 1950 को हम राजनीतिक रूप से समान और आर्थिक और सामाजिक रूप से असमान होंगे। जितना शीघ्र हो सके हमें यह भेदभाव और पृथकता दूर कर लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग इस भेदभाव के शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है।' हमें यह स्वीकारने में कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए कि स्वाधीन भारत के शासकों ने डॉ. आंबेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी की प्रायः पूरी तरह अनेदखी कर दिया, जिसके फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी, जोकि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या है, का भीषणतम साम्राज्य आज भारत में कायम है।'

आजाद भारत में मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की अनदेखी

भारी खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत के हमारे शासकों ने आर्थिक और सामाजिक विषमता की गंभीरता को ठीक से समझा ही नहीं। वे शायद यह समझ ही नहीं पाए कि आर्थिक और सामाजिक विषमता ही वह खास बीमारी है जिसके फलस्वरूप भूख, कुपोषण, गरीबी, अशिक्षा, विच्छिन्नता, आतंकवाद इत्यादि जैसी असंख्य समस्यायों की उत्पत्ति होती है। हो सकता है इस बात को उन्होंने समझा भी हो। पर, चूंकि सारी दुनिया में ही आर्थिक और सामाजिक विषमता की उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक) के लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से ही होती रही है और इसके खात्मे का उत्तम उपाय सिर्फ लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा है इसलिए आजाद भारत के शासक, जो हजारों साल के विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न वर्ग से रहे, इसके खात्मे की दिशा में आगे नहीं बढ़े। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे

के लिए उन्हें विविधतामय भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य शक्ति के स्रोतों का वाजिब बंटवारा कराना पड़ता और ऐसा करने पर उनका वर्गीय-हित विघ्नित होता, इसलिए वे स्व-वर्णीय हित के हाथों विवश होकर डॉ. आंबेडकर की अतिमूल्यवान चेतावनी की अनदेखी कर गए। वे विषमता के खात्मे लायक ठोस नीतियां बनाने की बजाय गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, राम मंदिर बनाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ इत्यादि जैसे लोक लुभावन नारों के जरिये सत्ता अख्तियार करते रहे। उधर बाबा साहेब की सतर्कतावाणी की अवहेलना के फलस्वरूप गणतंत्र के विस्फोटित होने का सामान धीरे-धीरे स्तूपीकृत होता रहा। आज पौने दो सौ जिलों तक नक्सलवाद का विस्तार; सच्चर रिपोर्ट में उभरी मुस्लिम समुदाय की बदहाली; महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर हमारा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पिछड़े राष्ट्रों से पीछे रहना; तेज विकास के दौर में 84 करोड़ से अधिक लोगों का 20-25 रूपये रोजाना पर गुजर-बसर और कुछ नहीं, बारूद के वे ढेर हैं जिसे अगर सम्यक तरीके से निष्क्रिय नहीं किया गया तो निकट भविष्य में हमारे लोकतंत्र का विस्फोटित होना तय है।

बुरे लोगों के हाथों में : भारत का संविधान

बहरहाल संविधान दिवस के अवसर पर ढ़ेरों लोगों ने बाबा साहेब की कही इस बात को नए सिरे से याद दिलाया -'संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो, यह बुरा साबित होगा। अगर संविधान बुरा है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा।' जिस तरह बेरहमी से अबतक आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की समस्या की उपेक्षा हुई है, हमें अब मान लेना चाहिए इसका इस्तेमाल करनेवाले लोग समग्र वर्ग की चेतना से समृद्ध न होने के कारण अच्छे लोगों में शुमार करने लायक तो रहे ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर वे लोकतंत्र विरोध रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे आर्थिक और सामाजिक विषमता से देश को उबारने के लिए संविधान में उपलब्ध प्रावधानों का सम्यक इस्तेमाल करते जिससे संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति होती। पर, उनके लोकतंत्र विरोधी चरित्र के कारण इस मोर्चे पर हम मीलों पीछे रह गए।

बहरहाल भारत में भीषणतम रूप में फैली आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी पर संविधान निर्माता की ऐतिहासिक चेतावनी की स्वाधीन भारत के शासकों द्वारा निरंतर अनदेखी को दृष्टिगत रखते हुए ही हमने अध्याय 2 के अपने 5 लेखों और तीसरे अध्याय के साक्षात्कार के माध्यम से बीडीएम की ओर से जो भी बात रखने का तुच्छ प्रयास किया है, सारी की सारी प्रायः आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे पर केन्द्रित रखा है। इस क्रम में हमने संविधान की प्रस्तावना (Preamble) और विशेषकर राज्य के निर्देशक सिद्धांत (Directive principles of state policy)

की चुनिन्दा बातों से अवाम को अवगत कराने का प्रयास किया है।

संविधान की प्रस्तावना पर हमने कुछ शिकायत भरे लहजे में साक्षात्कार के दूसरे प्रश्न में यह सवाल उठाया है, 'डॉ. भीमराव आंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर संसद के शीतकालीन अधिवेशन में 'संविधान दिवस' पर जो दो दिनों तक चर्चा चली, उसमें राजनीतिक दल आंबेडकर-प्रेम में एक दूसरे से होड़ लगाने और असहिष्णुता जैसे गैर-जरुरी बहस में उलझे रहे। इस क्रम में संविधान पर सार्थक बहस उपेक्षित रह गयी। जबकि चर्चा मुख्यतः इस बात पर केन्द्रित होनी चाहिए थी कि संविधान की उद्देश्यिका में घोषित तीन न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक-को हासिल करने में हम कितना सफल हुए। कुछ नेताओं ने इसे छुआ भी तो यह नहीं बताया कि न्याय के अधूरे लक्ष्यों को पाने के लिए क्या उपाय हो।' लेकिन हमने ज्यादे सवाल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से जुड़े पूछे हैं। ऐसा इसलिए कि :

नीति निर्देशक सिद्धांत : शासन व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत

'संविधान में समाविष्ट किये गए नीति निर्देशक सिद्धांत शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांत हैं। राज्यों का यह मूल कर्तव्य है कि विधि निर्माण के समय इन सिद्धांतों का अनुसरण करें। इस प्रकार देश के प्रशासकों के लिए यह एक आचार संहिता है। उनके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते समय इन निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखें, क्योंकि यह उन आदर्शों को प्रतिष्ठापित करते हैं जो भारत के राज्य के आधार हैं। वे संविधान की प्रस्तावना में अंकित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के सोलह अनुच्छेदों में निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। इनमें राज्य के आर्थिक , सामाजिक, वैधानिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है, किन्तु सोलह अनुच्छेदों में वर्णित सभी प्रावधानों के बजाय हमने आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे में विशेष प्रभावी हो सकने लायक निम्न प्रावधानों को लेकर विद्वान साक्षात्कारदाताओं के समक्ष सवाल रखे।

1. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा-38(1)
2. राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी

प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। 38(2)

3. राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से

39(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

39(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोतम रूप से साधन हो,

39(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेन्द्रण न हो।

आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की समस्या और मोदी

बहरहाल संविधान के जानकारों के मुताबिक निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्यों के प्रतीक हैं और इनकी पूर्ति हो जाने पर देश की सामाजिक अवस्था में सुखद परिवर्तन आना तय है। किन्तु देश में इच्छित परिवर्तन नहीं हुआ, जो शक्तिशाली थे वे आजाद भारत में और शक्तिशाली हुए, जबकि वंचित और दुर्बल हुए। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय राज्य अपने संवैधानिक कर्तव्य पालन में विफल रहा। कहा जा सकता है कि वर्णवादी शासकों के हाथों में पड़ कर संविधान अपने उद्देश्यों में प्रायः विफल हो गया। बहरहाल यहां लाख टके का सवाल पैदा होता है,जब संविधान के सदुपयोग के लिहाज से आजाद भारत के तमाम शासक अच्छे लोगों में उत्तीर्ण होने में विफल रहे तब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को किस श्रेणी में रखा जाय? क्योंकि वे आंबेडकर-प्रेम के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं।

काबिले गौर है कि आंबेडकर जयंती के 125 वें वर्ष में कांग्रेस सहित तमाम दलों ने आंबेडकर की विरासत से खुद को जोड़ने का प्रयास किया, पर इनमें सबसे आगे निकल गयी भाजपा। कोई सोच नहीं सकता था कि 'रिडल्स इन हिन्दुइज्म' के लेखक और वर्षों पहले 'हिन्दू के रूप में न मरने' की घोषणा करने वाले डॉ. आंबेडकर को भाजपा के घोर हिंदुत्ववादी पितृ संगठन 'संघ' की ओर से 'भारतीय पुनरुत्थान के पांचवे चरण के अगुआ' के रूप में आदरांजलि दी जा सकती है, लेकिन यह सब मुमकिन हुआ प्रधान मंत्री मोदी के चलते। मोदी के चलते ही आंबेडकर के साथ अपने रिश्ते जोड़ने के लिए भाजपा ने और भी बहुत कुछ किया। मोदी राज में ही मुंबई के दादर स्थित इंदू मिल को आंबेडकर स्मारक बनाने की दलितों की वर्षो पुरानी मांग को स्वीकृति मिली। बात यही तक सीमित नहीं रही, इंदू मिल में स्मारक बनाने के लिए 425 करोड़ का फंड भी मोदी सरकार ने मुहैया करा दिया। लन्दन के जिस तीन मंजिला मकान में बाबासाहेब आंबेडकर ने दो

साल रहकर शिक्षा ग्रहण की थी, उसे इसी वर्ष चार मिलियन पाउंड में खरीदने का बड़ा काम मोदी राज में ही हुआ। इसके अतिरिक्त भी आंबेडकर की 125 वीं जयंती वर्ष में भाजपा ने ढेरों ऐसे काम किये जिसके समक्ष आंबेडकर-प्रेम की प्रतियोगिता में बाकी दल बौने बन गए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित करना एवं इसमें निहित बातों को जन-जन तक पहुचाने की प्रधानमंत्री की अपील। इसके लिए उन्होंने जिस तरह संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दो दिन संविधान पर चर्चा के बहाने डॉ. आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का उपक्रम चलाया, उससे 125 वीं जयंती और यादगार बन गयी। इस अवसर पर संविधान निर्माण में डॉ. आंबेडकर की भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला था—'अगर बाबा साहब आंबेडकर ने इस आरक्षण की व्यवस्था को बल नहीं दिया होता, तो कोई बताये कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज की हालत क्या होती? परमात्मा ने उसे वह सब दिया है, जो मुझे और आपको दिया है,लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके कारण उसकी दुर्दशा है। उन्हें अवसर देना हमारा दायित्व बनता है।'

अब कोई बताएं, क्या भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री ने संविधान और आंबेडकर के प्रति इस तरह भक्ति प्रदर्शन किया? शायद नहीं। तो क्या हम आश्वस्त हो जाएँ कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में अब एक ऐसा शासक मिल गया है जिसे संविधान का इस्तेमाल करने वाले 'अच्छे लोगों' में शुमार किया जा सकता है? मेरे विचार से मोदी के प्रति ऐसी धारणा बनाने के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। कारण, उन्होंने लगभग दो साल के अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया है,जिससे लगे कि भीषणतम रूप में फैली आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है शेष बंचे तीन सालों में वैसा कर दिखाएं, तब तक उन्हें 'अच्छे लोग' का सर्टिफिकेट पाने के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। यही नहीं उन्होंने आंबेडकर के लोगों के हित में भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिनके विषय में उन्होंने संसद में 27 नवम्बर, 2015 को कहा था कि, 'उन्हें अवसर देना हमारा दायित्व बनता है।' उनके उस भावुक आह्वान को देखते हुए ढेरों लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे संविधान दिवस के अवसर पर कुछ ऐसे ठोस विधाई एजेंडा पेश करेंगे जिससे समता तथा सामाजिक न्याय की डॉ. आंबेडकर की संकल्पना को आगे बढाने में मदद मिलती। विपुल संख्या गरिष्ठता के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाले मोदी से आंबेडकर के लोगों के प्रति ज्यादा नहीं तो कमसे कम निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने की उम्मीद लोगों को थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ।

इधर उन्होंने कुछ दिन पूर्व दावा किया कि, 'स्टैंडअप इंडिया के जरिये देश के करीब सवा लाख बैंक देश भर में दलित उद्यमियों की फौज खड़ी कर देंगे।

अब किसी दलित भाई को बहन को नौकरी के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। स्टैंडअप इंडिया के जरिये दलित अब नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देनेवालों में शुमार हो जायेंगे।' लेकिन दलित उद्यमियों द्वारा तैयार प्रोडक्ट की सप्लाई सुनिश्चित नहीं किये जाने से, स्टैंडअप इंडिया को लेकर आंबेडकर के लोगों में कोई उत्साह नहीं है। ऐसे में मोदी को 'अच्छे लोग' की कसौटी पर खरे उतरते देखने के लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति!

बहरहाल अपात्र शासकों द्वारा निरंतर आर्थिक और सामाजिक विषमता; समता और सामाजिक न्याय की अनदेखी को देखते हुए हमने साक्षात्कार के दस में से नौ प्रश्नों को ही कैसे हो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति? पर केन्द्रित रखते हुए विद्वान् साक्षात्कारदाताओं से उपाय सुझाने का आग्रह किया। किन्तु उनसे आग्रह करने के पूर्व अपनी ओर से हर बार घुमा-फिराकर यही कहा—'इसके लिए बीडीएम के पास एक उपाय है और वह है शक्ति के प्रमुख स्रोतों—1. आर्थिक (सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों, सप्लाई, डीलरशिप, ठेंकों, पार्किंग, परिवहन, विज्ञापन निधि, फिल्म-मीडिया और अन्य समस्त आर्थिक गतिविधियों), 2.राजनीतिक (संसद-विधानसभा, पंचायत-शहरी निकायों, राज्यसभा-विधान परिषद् की सीटों, राज्य एवं केंद्र की कैबिनेट), 3. धार्मिक (पौरोहित्य इत्यादि)—में सामाजिक (Social) और लैंगिक (Gender) विविधता (Diversity) का प्रतिबिम्बन अर्थात विविधतामय भारत के चार प्रमुख सामाजिक समूहों-सवर्ण, ओबीसी, एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों-के स्त्री-पुरुषों के मध्य उपरोक्त क्षेत्रों का न्यायोचित बंटवारा।' हां, साक्षात्कार की प्रश्नावली के अंत में हमने यह भी लिखा था, 'जवाब देते समय डाइवर्सिटी केन्द्रित मेरे सुझावों को यथासाध्य नकारने की कोशिश करें। हालांकि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश हित में डाइवर्सिटी का कोई विकल्प ही नहीं है। किन्तु यदि आप भिन्न विकल्प दे पाते हैं, मुझे भारी खुशी। कारण, इससे राष्ट्र को और विकल्प मिलेंगे।'

संविधान के लक्ष्यों को पाने का सर्वोत्तम उपाय : डाइवर्सिटी

यह भारी संतोष का विषय है कि डाइवर्सिटी से विरत रहने के मेरे अनुरोध के बावजूद संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन का सुझाव प्रायः 90 प्रतिशत साक्षत्कारदाताओं को पसंद आया। इनमें से भी प्रायः 75 प्रतिशत ने ही जोर गले से डाइवर्सिटी को ही सर्वोत्तम उपाय बताया। जिन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने भी इसकी प्रभावकारिता को खारिज नहीं किया। वास्तव में अगर लोगों के विभिन्न तबकों

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections

• Support authors from marginalized communities

• Provide free resources to educators

• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library